न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील / 119 / 2022

अपीलांट नोरतमल बाबेल पुत्र बिरदीचन्द बाबेल
निवासी मरूधर मार्केट मेवाडी गेट के अंदर महावीर बाजार, ब्यावर जिला अजमेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 15.11.2022

अपीलार्थी नोरतमल बाबेल पुत्र बिरदीचन्द बाबेल निवासी मरूधर मार्केट मेवाडी गेट के अंदर महावीर बाजार, ब्यावर जिला अजमेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 19.10.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर / पंजीबद्ध डाक / ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10 / – पोस्टल ऑर्डर संख्या 574067 दिनांक 12.09.2022 की प्रति संलग्न की गई है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः कार्यालय के स्तर पर कोई सूचना अपेक्षित नहीं है। लिहाजा अपील दाखिर दफ्तर फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में कोई आवेदन करना नहीं किया गया है ऐसे में बिना आवेदन किये सूचना दिया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। अतः रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 15.11.2022 को न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:33:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर